भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *226

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत धनराशि जारी करना

***226. श्रीमती सुप्रिया सुले:**

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्र के रख-रखाव के माध्यम से ग्राम आधारित विकास हेतु विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी की गई धनराशि की पहली किस्त तथा इसके जिला-वार आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र को धनराशि के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र जिलों को उनका उचित हिस्सा प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की गति और वास्तविक प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को महाराष्ट्र के जिलों में धनराशि जारी करने, अनुमोदित कार्यों के निष्पादन में विलंब अथवा आवंटन में असमानता के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत समय पर धनराशि का उपयोग और लक्षित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, सामाजिक संपरीक्षा और पारदर्शिता से संबंधित क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, जो 01.07.2026 से लागू हो गया है की धारा 22 की उप-धारा (4) के अनुसार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी। मजदूरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने, अधिनियम के तहत वैधानिक हकदारियों और गारंटियों का निर्बाध निर्वहन करने तथा अधिनियम के प्रारंभ होने पर रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए निधियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तब तक के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम निधि आवंटित की है, जब तक कि अधिनियम के तहत संबंधित नियमों, उपनियमों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए (1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि के लिए), महाराष्ट्र राज्य को 4,420.32 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। इसके बाद, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न घटकों के तहत पहली किश्त के रूप में 1,459.92 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृतियां राज्य को जारी कर दी गई हैं।

(ग): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर निधियों का आवंटन किया जाता है, न कि जिला-वार। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का अंतर-राज्यीय संवितरण, अधिसूचित योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का विशेषाधिकार है।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में इस योजना के कार्यान्वयन की गति और कार्यों की वास्तविक प्रगति की निरंतर समीक्षा की है। दिनांक 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में रोजगार की मांग करने वाले 97% से अधिक श्रमिकों को रोजगार की पेशकश की गई है और 79,111 कार्यस्थलों पर 29.09 लाख श्रम-दिवस सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के तहत वीबी-जी राम जी के अंतर्गत 10,716 कार्य और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 3,77,414 कार्य, कुल मिलाकर 3,88,130 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

वीबी-जी राम जी योजना का कार्यान्वयन 01.07.2026 से शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके अनुरोध के अनुसार पर्याप्त निधियां स्वीकृत की जा चुकी है।

(च): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के 1 जुलाई, 2026 से लागू होने के साथ, पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावी निगरानी, निधियों के समय पर उपयोग और इच्छित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत एक व्यापक संस्थागत, समुदाय-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम ढांचा लागू किया गया है। कार्यान्वयन ढांचे के हिस्से के रूप में ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी, निष्पक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के माध्यम से अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा, रिकॉर्ड और सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण, शिकायत निवारण तंत्र, नियमित निरीक्षण और समवर्ती निगरानी की जा रही है।

यह क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, कार्यान्वयन की गुणवत्ता के आकलन और निष्पक्ष कार्यस्थल सत्यापन के लिए क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरे किए जा रहे हैं, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा रही है, कार्यों की माप दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तकों (ई-एमबी) का उपयोग किया जा रहा है, और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से वास्तविक और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, निधियों के समय पर और पारदर्शी संवितरण को सुगम बनाने, निधि के प्रवाह की प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाने और कार्यक्रम की निधियों का प्रभावशाली उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एसएनए-स्पर्श प्रणाली लागू की गई है। समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करते हुए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के आधार-से जुड़े बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। ये संस्थागत और प्रौद्योगिकी-सक्षम तंत्र कार्यक्रम के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही, निधियों का समय पर उपयोग और इच्छित परिणामों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित कर रहे हैं।